

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल – तिलहन स्कीम के अन्तर्गत मूंगफली के समूह प्रदर्शन प्लाट पर हरियाणा के सभी 22 जिलों में समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-08-2024 तक कर सकते हैं।

मूंगफली के समूह प्रदर्शन प्लाट पर रू0 4000/एकड सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Cluster Demonstration on Groundnut

Tentative District wise Physical & Financial target of Cluster Demonstration (Groundnut)							
Kharif 2024 (Assistance @ Rs. 4000/ acre)							
Sr. No.	District	Total		General		SC	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakh)
1	Ambala	70	2.80	56	2.24	14	0.56
2	Bhiwani	237.5	9.50	190	7.60	47.5	1.90
3	Ch.Dadri	200	8.00	160	6.40	40	1.60
4	Faridabad	70	2.80	56	2.24	14	0.56
5	Fatehabad	410	16.40	328	13.12	82	3.28
6	Gurugram	70	2.80	56	2.24	14	0.56
7	Hisar	350	14.00	280	11.20	70	2.80
8	Jhajjar	150	6.00	120	4.80	30	1.20
9	Jind	70	2.80	56	2.24	14	0.56
10	Karnal	70	2.80	56	2.24	14	0.56
11	KKR	70	2.80	56	2.24	14	0.56
12	Kaithal	70	2.80	56	2.24	14	0.56
13	M.Garh	250	10.00	200	8.00	50	2.00
14	Mewat	70	2.80	56	2.24	14	0.56
15	Palwal	70	2.80	56	2.24	14	0.56
16	Panipat	150	6.00	120	4.80	30	1.20
17	Panchkula	150	6.00	120	4.80	30	1.20
18	Rewari	200	8.00	160	6.40	40	1.60
19	Rohtak	70	2.80	56	2.24	14	0.56
20	Sirsa	400	16.00	320	12.80	80	3.20
21	Sonipat	70	2.80	56	2.24	14	0.56
22	Y.Nagar	70	2.80	56	2.24	14	0.56
Total		3337.5	133.50	2670	106.80	667.5	26.70

विशेष दिशा निर्देश:-

1. प्रदर्शन प्लांट लगाने के लिए मृदा परिक्षण अनिवार्य है। (अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी व उप कृषि निदेशक के कार्यालय में सम्पर्क करें)
2. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
3. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
4. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल – तिलहन स्कीम के अन्तर्गत अरण्ड के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अन्तर्गत हरियाणा के सभी 22 जिलों में किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-08-2024 तक कर सकते हैं।

अरण्ड के समूह प्रदर्शन प्लाट पर रू0 1200/ एकड सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Cluster Demonstration on Castor

Tentative District wise Physical & Financial target of Cluster Demonstration on Castor Kharif 2024 (Assistance @ Rs. 1200/ acre.)							
Sr. No.	District	Total		General		SC	
		Phy (in Ha.)	Fin (Rs. in lakh)	Phy (in Ha.)	Fin (Rs. in lakh)	Phy (in Ha.)	Fin (Rs. in lakh)
1	Ambala	70	0.84	56	0.67	14	0.17
2	Bhiwani	450	5.40	360	4.32	90	1.08
3	Ch.Dadri	300	3.60	240	2.88	60	0.72
4	Faridabad	400	4.80	320	3.84	80	0.96
5	Fatehabad	70	0.84	56	0.67	14	0.17
6	Gurugram	70	0.84	56	0.67	14	0.17
7	Hisar	400	4.80	320	3.84	80	0.96
8	Jhajjar	250	3.00	200	2.40	50	0.60
9	Jind	80	0.96	64	0.77	16	0.19
10	Karnal	80	0.96	64	0.77	16	0.19
11	KKR	70	0.84	56	0.67	14	0.17
12	Kaithal	70	0.84	56	0.67	14	0.17
13	M.Garh	250	3.00	200	2.40	50	0.60
14	Mewat	250	3.00	200	2.40	50	0.60
15	Palwal	70	0.84	56	0.67	14	0.17
16	Panipat	80	0.96	64	0.77	16	0.19
17	Panchkula	70	0.84	56	0.67	14	0.17
18	Rewari	250	3.00	200	2.40	50	0.60
19	Rohtak	70	0.84	56	0.67	14	0.17
20	Sirsa	400	4.80	320	3.84	80	0.96
21	Sonipat	200	2.40	160	1.92	40	0.48
22	Y.Nagar	200	2.40	160	1.92	40	0.48
Total		4150	49.80	3320	39.84	830	9.96

विशेष दिशा निर्देश:-

1. प्रदर्शन प्लांट लगाने के लिए मृदा परिक्षण अनिवार्य है।(अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी व उप कृषि निदेशक के कार्यालय में सम्पर्क करें)
2. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
3. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
4. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल – तिलहन स्कीम के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली किस्में मूंगफली के बीज वितरण पर हरियाणा के 10 जिलों (हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, पानीपत तथा पंचकूला) में अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-08-2024 तक कर सकते हैं।

अधिक उपज देने वाली किस्में मूंगफली के बीज वितरण पर रू0 4000/ क्विंटल सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Distribution of Certified Seed- HYVs Groundnut

Tentative District Wise Physical Financial targets of NMEO-Oilseeds Seed distribution of HYVs Groundnut (Assistance Rs. 4000/- qtl.) for Kharif-2024							
Sr. No.	Distt	General Category		SC Category		Total	
		Phy. (in qtl)	Fin (Rs. in lakh)	Phy. (in qtl)	Fin (Rs. in lakh)	Phy. (in qtl)	Fin (Rs. in lakh)
1	Bhiwani	10	0.40	8	0.32	2	0.08
2	Ch.Dadri	10	0.40	8	0.32	2	0.08
3	Fatehabad	15	0.60	12	0.48	3	0.12
4	Hisar	15	0.60	12	0.48	3	0.12
5	Jhajjar	10	0.40	8	0.32	2	0.08
6	M.Garh	5	0.20	4	0.16	1	0.04
7	Panchkula	5	0.20	4	0.16	1	0.04
8	Panipat	5	0.20	4	0.16	1	0.04
9	Rewari	10	0.40	8	0.32	2	0.08
10	Sirsa	15	0.60	12	0.48	3	0.12
	Total	100	4.00	80	3.20	20	0.80

विशेष दिशा निर्देश:-

- 1 एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- 3 किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल – तिलहन स्कीम के अन्तर्गत तिल के संकर प्रमाणित बीज वितरण पर हरियाणा के सभी 22 जिलों में किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-08-2024 तक कर सकते हैं।

तिल के संकर प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 8000/ क्विंटल सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Distribution of Certified Seed Hybrid/Sesame

Tentative District wise Physical & Financial target of Distribution of Certified Seed Hybrid/Sesame Kharif 2024 (Assistance @ Rs. 8000/ Qtl.)							
Sr. No.	District	Total		General		SC	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakh)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakh)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakh)
1	Ambala	30	2.40	24	1.92	6	0.48
2	Bhiwani	100	8.00	80	6.40	20	1.60
3	Ch.Dadri	40	3.20	32	2.56	8	0.64
4	Faridabad	50	4.00	40	3.20	10	0.80
5	Fatehabad	50	4.00	40	3.20	10	0.80
6	Gurugram	100	8.00	80	6.40	20	1.60
7	Hisar	70	5.60	56	4.48	14	1.12
8	Jhajjar	100	8.00	80	6.40	20	1.60
9	Jind	50	4.00	40	3.20	10	0.80
10	Karnal	30	2.40	24	1.92	6	0.48
11	KKR	30	2.40	24	1.92	6	0.48
12	Kaithal	30	2.40	24	1.92	6	0.48
13	M.Garh	50	4.00	40	3.20	10	0.80
14	Mewat	100	8.00	80	6.40	20	1.60
15	Palwal	100	8.00	80	6.40	20	1.60
16	Panipat	30	2.40	24	1.92	6	0.48
17	Panchkula	30	2.40	24	1.92	6	0.48
18	Rewari	100	8.00	80	6.40	20	1.60
19	Rohtak	50	4.00	40	3.20	10	0.80
20	Sirsa	100	8.00	80	6.40	20	1.60
21	Sonipat	30	2.40	24	1.92	6	0.48
22	Y.Nagar	30	2.40	24	1.92	6	0.48
Total		1300	104.00	1040	83.20	260	20.80

विशेष दिशा निर्देश:-

- 1 एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- 3 किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी 22 जिलों में राईजोबियम/फॉसफोरस घोलक जीवाणु कल्चर के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 10-10-2024 तक कर सकते हैं।

राईजोबियम व फॉसफोरस घोलक जीवाणु के वितरण पर अनुदान रू0 120/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Supply of rhyzobium culture/phosphate solubillsing bacteria

Tentative District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds –Supply of rhyzobium culture/phosphate solubillsing bacteria (Assistant Rs. 120/ acre.) for Kharif-2024							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	116	0.14	93	0.11	23	0.03
2	Bhiwani	150	0.18	120	0.14	30	0.04
3	C. Dadri	100	0.12	80	0.10	20	0.02
4	Faridabad	80	0.10	64	0.08	16	0.02
5	Fathabad	100	0.12	80	0.10	20	0.02
6	Gurgaon	70	0.08	56	0.07	14	0.02
7	Hisar	120	0.14	96	0.12	24	0.03
8	Jhajjar	100	0.12	80	0.10	20	0.02
9	Jind	100	0.12	80	0.10	20	0.02
10	Karnal	100	0.12	80	0.10	20	0.02
11	Kurukshetra	100	0.12	80	0.10	20	0.02
12	Kaithal	100	0.12	80	0.10	20	0.02
13	M.Garh	120	0.14	96	0.12	24	0.03
14	Mewat	90	0.11	72	0.09	18	0.02
15	Panchkula	60	0.07	48	0.06	12	0.01
16	Panipat	80	0.10	64	0.08	16	0.02
17	Palwal	100	0.12	80	0.10	20	0.02
18	Sonipat	100	0.12	80	0.10	20	0.02
19	Rohtak	100	0.12	80	0.10	20	0.02
20	Rewari	120	0.14	96	0.12	24	0.03
21	Sirsa	100	0.12	80	0.10	20	0.02
22	Y. Nagar	100	0.12	80	0.10	20	0.02
	Total	2206	2.65	1765	2.12	441	0.53

विशेष दिशा निदेश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी 22 जिलों में पौध संरक्षण रसायन सहित खरपतवारनाशी के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 10-10-2024 तक कर सकते हैं।

खरपतवारनाशक व सूक्ष्म पौषक तत्वों सहित पौध संरक्षण का वितरण के वितरण पर अनुदान रू0 200/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Supply of PP Chemicals including Weedicides & Micronutrient

Tentative District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds Supply of PP Chemicals including Weedicides & Micronutrient (Assistant Rs.200/acre) for Kharif-2024							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	100	0.20	80	0.16	20	0.04
2	Bhiwani	200	0.40	160	0.32	40	0.08
3	C. Dadri	100	0.20	80	0.16	20	0.04
4	Faridabad	100	0.20	80	0.16	20	0.04
5	Fathabad	150	0.30	120	0.24	30	0.06
6	Gurgaon	100	0.20	80	0.16	20	0.04
7	Hisar	150	0.30	120	0.24	30	0.06
8	Jhajjar	150	0.30	120	0.24	30	0.06
9	Jind	150	0.30	120	0.24	30	0.06
10	Karnal	100	0.20	80	0.16	20	0.04
11	Kurukshetra	150	0.30	120	0.24	30	0.06
12	Kaithal	100	0.20	80	0.16	20	0.04
13	M.Garh	200	0.40	160	0.32	40	0.08
14	Mewat	100	0.20	80	0.16	20	0.04
15	Panchkula	100	0.20	80	0.16	20	0.04
16	Panipat	100	0.20	80	0.16	20	0.04
17	Palwal	100	0.20	80	0.16	20	0.04
18	Sonipat	100	0.20	80	0.16	20	0.04
19	Rohtak	150	0.30	120	0.24	30	0.06
20	Rewari	150	0.30	120	0.24	30	0.06
21	Sirsa	100	0.20	80	0.16	20	0.04
22	Y. Nagar	100	0.20	80	0.16	20	0.04
	Total	2750	5.50	2200	4.40	550	1.10

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी 22 जिलों में न्यूक्लीयर पोली हाईड्रोसीस वायरस के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 10-10-2024 तक कर सकते हैं।

न्यूक्लीयर पोली हाईड्रोसीस वायरस के वितरण पर अनुदान रू0 200/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Nuclear polyhedrosis Virus (NPV)

Tentative District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds Nuclear polyhedrosis Virus (NPV) (Assistant Rs.200/acre) for Kharif-2024							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	40	0.08	32	0.06	8	0.02
2	Bhiwani	62	0.12	50	0.10	12	0.02
3	C. Dadri	40	0.08	32	0.06	8	0.02
4	Faridabad	40	0.08	32	0.06	8	0.02
5	Fathabad	40	0.08	32	0.06	8	0.02
6	Gurgaon	40	0.08	32	0.06	8	0.02
7	Hisar	60	0.12	48	0.10	12	0.02
8	Jhajjar	50	0.10	40	0.08	10	0.02
9	Jind	40	0.08	32	0.06	8	0.02
10	Karnal	40	0.08	32	0.06	8	0.02
11	Kurukshetra	40	0.08	32	0.06	8	0.02
12	Kaithal	40	0.08	32	0.06	8	0.02
13	M.Garh	60	0.12	48	0.10	12	0.02
14	Mewat	40	0.08	32	0.06	8	0.02
15	Panchkula	40	0.08	32	0.06	8	0.02
16	Panipat	40	0.08	32	0.06	8	0.02
17	Palwal	40	0.08	32	0.06	8	0.02
18	Sonipat	50	0.10	40	0.08	10	0.02
19	Rohtak	40	0.08	32	0.06	8	0.02
20	Rewari	40	0.08	32	0.06	8	0.02
21	Sirsa	50	0.10	40	0.08	10	0.02
22	Y. Nagar	30	0.06	24	0.05	6	0.01
	Total	962	1.92	770	1.54	192	0.38

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी 22 जिलों में पौध संरक्षण समूह के अंतर्गत किसान भाईयों को हस्तचालित स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 10-10-2024 तक कर सकते हैं।

हस्त चलित स्प्रेयर के अंतर्गत किसानों को सामान्य वर्ग के लिए 600/- रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सीमांत किसानों के लिए 800/- रुपये पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

Supply of P P Equipments (Manual Sprayer for General and SC/ST & Marginal Farmers)

Tentative District Wise Physical Financial targets for NMEO- Oilseeds Supply of Plant Protection Equipments for Kharif-2024 (Manual Sprayer) (Assistance Rs. 600/- for General and Rs. 800/- for SC/ST & Marginal Farmers)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Nos.)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy (in Nos.)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy (in Nos.)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	10	0.06	8	0.05	2	0.01
2	Bhiwani	10	0.06	8	0.05	2	0.01
3	C. Dadri	10	0.06	8	0.05	2	0.01
4	Faridabad	10	0.06	8	0.05	2	0.01
5	Fathabad	10	0.06	8	0.05	2	0.01
6	Gurgaon	10	0.06	8	0.05	2	0.01
7	Hisar	15	0.09	12	0.07	3	0.02
8	Jhajjar	10	0.06	8	0.05	2	0.01
9	Jind	10	0.06	8	0.05	2	0.01
10	Karnal	15	0.09	12	0.07	3	0.02
11	Kurukshetra	10	0.06	8	0.05	2	0.01
12	Kaithal	10	0.06	8	0.05	2	0.01
13	M.Garh	15	0.09	12	0.07	3	0.02
14	Mewat	10	0.06	8	0.05	2	0.01
15	Panchkula	15	0.09	12	0.07	3	0.02
16	Panipat	10	0.06	8	0.05	2	0.01
17	Palwal	10	0.06	8	0.05	2	0.01
18	Sonipat	10	0.06	8	0.05	2	0.01
19	Rohtak	10	0.06	8	0.05	2	0.01
20	Rewari	10	0.06	8	0.05	2	0.01
21	Sirsa	15	0.09	12	0.07	3	0.02
22	Y. Nagar	10	0.06	8	0.05	2	0.02
	Total	245	1.47	196	1.18	49	0.30

विशेष दिशा निर्देश:—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी 22 जिलों में पौध संरक्षण समूह के अंतर्गत किसान भाईयों को मोटर/बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 10-10-2024 तक कर सकते हैं।

मोटर/बैटरी चालित स्प्रेयर के अन्तर्गत किसानों को सामान्य वर्ग के लिए 8000/- रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सीमांत किसानों के लिए 10000/- रुपये अनुदान दिया जाएगा।

Supply of P P Equipments (Power Operated for General and SC/ST & Marginal Farmers)

Tentative District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds Supply of Plant Protection equipments for Kharif-2024 (Power Operated) (Assistance Rs 8000/- for General and Rs. 10000/- for SC/ST & Marginal Farmers)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in No.)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in No.)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in No.)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	6	0.48	5	0.40	1	0.08
2	Bhiwani	8	0.64	6	0.48	2	0.16
3	C. Dadri	8	0.64	6	0.48	2	0.16
4	Faridabad	8	0.64	6	0.48	2	0.16
5	Fathabad	8	0.64	6	0.48	2	0.16
6	Gurgaon	6	0.48	5	0.40	1	0.08
7	Hisar	8	0.64	6	0.48	2	0.16
8	Jhajjar	8	0.64	6	0.48	2	0.16
9	Jind	8	0.64	6	0.48	2	0.16
10	Karnal	8	0.64	6	0.48	2	0.16
11	Kurukshetra	8	0.64	6	0.48	2	0.16
12	Kaithal	8	0.64	6	0.48	2	0.16
13	M.Garh	8	0.64	6	0.48	2	0.16
14	Mewat	8	0.64	6	0.48	2	0.16
15	Panchkula	6	0.48	5	0.40	1	0.08
16	Panipat	8	0.64	6	0.48	2	0.16
17	Palwal	8	0.64	6	0.48	2	0.16
18	Sonipat	8	0.64	6	0.48	2	0.16
19	Rohtak	8	0.64	6	0.48	2	0.16
20	Rewari	8	0.64	6	0.48	2	0.16
21	Sirsa	8	0.64	6	0.48	2	0.16
22	Y. Nagar	6	0.48	5	0.40	1	0.08
Total		168	13.44	128	10.24	40	3.20

विशेष दिशा निर्देश:—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा